

ज्वैलर्स की दुकान में हुई 38 लाख की लूट का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी से कुछ ज्वैलरी भी बरामद की, दो बदमाशों की तलाश जारी

अलवर, (निसं)। अलवर में ज्वैलर की दुकान में घुसकर 38 लाख रुपए के जेवर लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे जिला अस्पताल में मेडिकल कराने लाया गया तो तीन पुलिसवालों ने कार से उतारा। अस्पताल के अंदर मेडिकल कराने ले जाया गया।

अलवर एसपी ने बताया कि एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया। आरोपी सागर उर्फ संजय यादव निवासी इस्माईलपुर पुलिस थाना बाबली जिला झुज्जर हरियाणा का निवासी है। उससे कुछ ज्वैलरी भी बरामद की है। तीनों बदमाश हरियाणा के झुज्जर के आसपास के हैं। लूट की वारदात कर वापस वहीं निकल गए थे। अभी पुलिस को दो बदमाशों की तलाश है।

डोडा-पोस्ट समेत एक गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। शहर की चौपासी हाइवेज बोर्ड पुलिस ने डीपीएस सफल के पास नाकाबंदी में सीमेंट के कट्टों से भरे ट्रेलर को रूकवाया। गाड़ी की तलाशी में कुछ नहीं मिला मगर चालक के पास से दो किलो अवैध डोडा-पोस्ट मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने यह डोडा-पोस्ट खुद के उपयोग के लिए लाना बताया। थानाधिकारी ईश्वर चंद पारिक ने बताया कि नाकाबंदी में एक सीमेंट से लदे ट्रेलर को रूकवाया गया। चालक के पास से दो किलो डोडा-पोस्ट मिला। इस पर सहयोग विशिष्ट के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया।

किशोरी से दुष्कर्म बीकानेर, (निसं)। 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी फरार है, जिसे कोर्टोट थाना पुलिस तलाश रही है। पीड़िता की मां की ओर से पुलिस को दो नोट रिपोर्ट में बताया गया है कि वह अपने पुत्र और नाबालिग पुत्री के साथ रहती है। आरोपी अशोक वेटर टेकदार है और पुत्र उसके साथ काम करता है। करीब 25 दिन पहले अशोक उसकी पुत्री को महला-फुसलाकर अपने कमरे पर ले गया और दुष्कर्म किया।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
कार्यालय कुलुब अग्रनिग (कल्लि कुलुब), 602, जयदेवगढ़ (कल्लि कुलुब), जयपुर
ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना :- TN-47 (RVU2526GLOB01681)
रा.वि.उ.नि. के केटीपीएस, कोटा हेतु बीबीडी-4760 प्रकार के बीएचईएल लाइनर्स और एसीटीपीएस, सुरंगगढ़ एवं सीटीपीपी, छबड़ा के लिए कोयला पल्परइजर्स/मिनी बीबीडी-4772 प्रकार का बीएचईएल लाइनर्स की आपूर्ति हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण वेबसाइट www.eproc.rajjasthan.gov.in (ई-निविदा हेतु), www.energy.rajjasthan.gov.in/rvuni एवं www.sppp.rajjasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
रज.सं.वार/सी/25/14697
RVUN/PR-4305
अधीक्षक अभियन्ता (टी.डी.-I)

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर पालिका, सादबी (जिला-पाली) राज.
पता: नैन बरा स्टेशन, सादबी (पंचसै, शेरा नं. 40/1, नयाँ नगर)
Ph.-02934-285022 email: npsadri1979@yahoo.com, gmail.com
क्रमांक : न.पा.सा./ 2025 / 3785-3787
:- Notice Inviting Bid :-
Bid for subject matters of procurement are invited from intrested bidders upto (date)& (time). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal. (https://sppp.rajjasthan.gov.in , eproc.rajjasthan.gov.in) of the state departmental website.
UBN NO:- DLB2526WSOB24772
अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सादबी
राज.सं.वार / सी / 25 / 14660



RajCOMP

Info Services Limited (RISL)

C-Block, 1st Floor, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

RISL द्वारा निम्न ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

NIB No./Date/ Unique bid no.	Particulars	Estimated Cost	Start of sale / Last date
4898/26.11.2025 RIS2526GSR00057	RFP Regarding rate contract for supply & installation of SSL Certificates for various websites / applications.	9.00 Lacs 18,00,000	02.12.2025 / 10.12.2025

विस्तृत जानकारी हेतु इन वेबसाईट पर सम्यक् करें -

<http://risl.rajjasthan.gov.in>, <http://sppp.rajjasthan.gov.in>, <http://doitc.rajjasthan.gov.in>.

Raj.Samwad/CI/25/14705

General Manager

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक निदे/अ. ख.अ. नीलामी / निलामी (ERCC/IRCC 17)/2025/ई-13391
ई-नीलामी विज्ञापित जाता (ERCC/IRCC 17)/2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अग्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम-36 व 37 के तहत विभाग द्वारा इस विज्ञापन से अग्रधान खनिजों के प्रभावशील खनन पट्टों / ववारी लाईसेंसों व परमिट क्षेत्रों से निर्गमित होने वाले खनिजों पर अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, परमिट शुल्क, प्रिमीयम शुल्क, ही.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के कुल 44 ठेके खुली ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफारम पर इच्छुक बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती है। ठेकों से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे-ठेका क्षेत्र, खनिज, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण व ई-ऑक्शन कती प्रक्रिया एवं मुख्य शर्तें विभागीय वेबसाइट www.mines.rajjasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता कंपनी MSTC की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध हैं।
DIPR/C/17396/2025
(महावीर प्रसाद मीणा) निदेशक

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सांचौर
क्रमांक:अअ/ सांचौर /2024-25/3011
दिनांक: 20.11.2025
निविदा सूचना संख्या: 12/2025-26
NIB No.: PWD2526A4414
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवम दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हों, से निर्धारित प्रारंभ में कार्य जिनकी लागत राशि रु. 261.60 लाख है।
निविदा आवेदन 25 नवम्बर 2025, 9-30 बजे से 15 दिसम्बर 2025, सांय 6:00 बजे तक
निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://dipr.rajjasthan.gov.in http://sppp.rajjasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया http://eproc.rajjasthan.gov.in पर ऑनलाईन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर http://eproc.rajjasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड कम्पना आवश्यक है। कार्यवार यू.बी.एन संख्या निम्नानुसार है।
UBN No.
1.UBN PWD2526WS01317413
2.UBN PWD2526WS01317416
(प्रदीप पंवार)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड सांचौर
DIPR/C/17381/2025

- हथियार दिखाकर तीन बदमाश ज्वैलरी की दुकान से 38 लाख के जेवरात लूट कर फरार हो गये थे, पांच दिन से पुलिस तलाश कर रही थी**

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 नवंबर को दोपहर तीन बजे अलवर शहर के तिजारा रोड पर मोहनलाल सोनी की दुकान राधा ज्वैलर्स में घुसकर हथियारों के दम पर 38 लाख रुपए के जेवर लूट ले गए थे। एक बाइक पर तीन बदमाश आए थे। एक ने हेलमेट लगा रहा था। दो ने मुंह को ढका हुआ था। पहले एक बदमाश दुकान में गया। इसने जाते ही मोहनलाल के गले पर दरंगी लगा दी थी। दूसरा बदमाश तिजोरी की

तरफ गया। तिजोरी से जेवर अपने बैग में भरने लगा। तीसरा बदमाश बाहर कट्टा लेकर खड़ा रहा। बीच में कुछ सेकेंड तीसरा बदमाश भी दुकान के अंदर गया। उसने सोनी के साथ मारपीट भी की। करीब 1 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर बाइक से चिकानी रोड की तरफ भाग गए थे। अब 5 दिन बाद पुलिस पूरे मामले को खुलासा करने वाली है। व्यापारी से मारपीट कर दुकान की तिजोरी से करीब 38 लाख रुपए के जेवर लूटने वाले एक बदमाश को 5

दिन में पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी दो फरार हैं। इस मामले को लेकर 5 दिन से व्यापारी वर्ग में रोष था। दो दिन पहले जल्दी बदमाशों के अरेस्ट नहीं होने पर अलवर बंद का आह्वान किया था। एक दिन दो घंटे सर्राफा बाजार बंद रखा गया था। **करंट लगने से किसान की मौत :** डूंगरपुर के धंभोला थाना क्षेत्र के बासिया मालीफला में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। किसान को में गेहूं की फसल को पानी देने गया था। बोरवेल की मोटर के पास करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बेटी अपने पिता को देखने पहुंची तो वे मृत हालत में मिले।

धम्बोला थाना हेड कॉनि. सोहनलाल ने बताया कि जयंती उत्तर

घना ताबियाड की करंट लगने से मौत हो गई है। जयंती बुधवार देर शाम को खेतों में गेहूं की फसल को पानी देने गया था। खेतों में बोरवेल के पास ही स्टार्टर भी लगा हुआ था। करंट लगने से जयंती ताबियाड बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। देर तक पिता वापस घर नहीं आए तो बेटी रविना पिता को देखने खेतों की तरफ गई। बोरवेल के पास ही पिता बेहोश हालत में पड़े हुए मिले। रविना ने चिल्लाकर लोगों को बुलाया, लेकिन जयंती की मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर धंभोला थाने से हेड कॉनि. सोहनलाल, रोशन और विनोद की टीम पहुंची। घटना की जानकारी लेने के बाद शव को सीमलवाडा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया।

आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ और प्रभारी जमानती वारंट से तलब

अवमाननाकर्ता को 50 -50 हजार के जमानती वारंट से 29 दिसंबर को आयोग को समक्ष तलब किया

- हाईकोर्ट और आयोग के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना कर अवमानना करने पर अवमाननाकर्ता के खिलाफ यह आदेश जारी किया**

अदा करने के आदेश दिए, जिसके खिलाफ बीमा कंपनी की अपील पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने 16 अप्रैल 2024 को स्थगन आदेश जारी कर दिया। प्रार्थी की रिट याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गत 14 जनवरी को 50 फीसदी राशि का भुगतान 31 मार्च तक प्रार्थी को अदा करने का आदेश दिया। बीमा कंपनी को दो राशि वमा नहीं करने पर 12 अगस्त को खंडपीठ ने बीमा कंपनी को दो सप्ताह में आदेश की पालना करने के पति को मृत्यु पर एक करोड़ रुपए दवा राशि मय ब्याज दो लाख रुपए हरजाना और 50 हजार रुपए वाद व्यय

विस्तृत आदेश में कहा कि विपक्षी ने न्यायालय के किसी भी आदेश की पूर्ण पालना नहीं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य आयोग,जोधपुर के समक्ष राशि जमा करने का आदेश दिया था और कहा था कि राशि प्रार्थी को अदा की जाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी को यह जानकारी होते हुएकि राज्य आयोग का कोई बैंक खाता नहीं है, उन्होंने प्रार्थी के नाम से ड्राफ्ट नहीं बनाकर आयोग के नाम से बनाकर तलब किया है। अवमाननाकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के किसी भी आदेश की पालना नहीं की है। सो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत उनको दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है सो अवमाननाकर्ता को 50 -50 हजार रुपए के जमानती वारंट से 29 दिसंबर को आयोग को समक्ष तलब किया जाता है।

अवैध रूप से पेड़ काटने व कोयला कारोबार करने पर प्रशासन सख्त

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले में राजकीय भूमि और जंगलों पर अवैध रूप से पेड़ काटने के मामलों में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संघू ने तीन अलग-अलग प्रकरणों में 10 कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 (सीसीए) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। इनमें से चार कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने बनेड़ा क्षेत्र में बिना नीलामी हजारों पेड़ काटे व सबूत मिटाने के लिए ट्रैक्टर को गायब करने संबंधी मामला सामने आने पर विभागीय जांच कराई। जांच में दोषी पाए जाने पर भू अभिलेख निरीक्षक देवकर टॉक व पटवारी (हल्का बामाणिया) भगवत लाल जाट को निलंबित किया गया। साथ ही 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी जारी है एवं तहसीलदार बनेड़ा संतोष कुमार सुनारीवाल के विरुद्ध

- जिला कलेक्टर ने 10 अधिकारियों व कार्मिकों के विरुद्ध 16 सीसीए की कार्रवाई की, चार को निलंबित किया**

भी 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर को आसीद क्षेत्र के नारायणपुरा गांव के 200 बीघा जंगल में अवैध रूप से पेड़ कटवाने व अवैध तरीके से कोयला माफिया से मिलीलाभ कर कोयला बनाकर बाहर भेजने संबंधी प्रकरण सामने आया, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा जांच करवाई गई। जिला कलेक्टर ने भू अभिलेख निरीक्षक नरेशनाथ योगी व पटवारी दूल्हेपुरा गारंटी बाई मीणा को निलंबित किया, साथ ही 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी जारी है। तहसीलदार आसीद जयसिंह के विरुद्ध भी 16 सीसीए के तहत

अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिला कलेक्टर को जहाजपुर क्षेत्र में 300 बीघा बिलानाम भूमि पर बबूल के पेड़ काटने व अवैध कोयला कारोबार से संबंधित मामला सामने आया, जिसमें विभागीय जांच करवाई गई। जांच में दोषी पाये जाने पर तहसीलदार जहाजपुर रवि कुमार मीणा, नायब तहसीलदार खजूरी बट्टीलाल मीणा, भू अभिलेख निरीक्षक अशोक कुमार धाकड़ व पटवारी हल्का किशनगढ़ अंकित कुमार गुप्ता के विरुद्ध 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर ने कहा कि राजकीय संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संरक्षण व राजस्व भूमि सुरक्षा प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं पर तत्काल सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मामूली कहासुनी में किशोर से मारपीट

- डोडवाना, (निसं)। डोडवाना में एक कैफे में हुई मामूली कहासुनी ने हैवानियत का रूप ले लिया और कुछ युवकों ने एक किशोर को रामसाबास**
- मारपीट के बाद नमक झील क्षेत्र में किशोर को पटक कर भाग गये आरोपी युवक**

रोड़ स्थित नमक झील क्षेत्र में ले जाकर बेरमरी से पीटा। पीटाई में आरोपियों ने इतनी दरिद्री की और पीड़ित किशोर को लाटियों और बेल्ट से इस कदर पीटा कि उसकी पीठ, पैर और कूल्हे पर चोट के गहरे लाल निशान बन गए। मारपीट के बाद आरोपी युवक, किशोर को नमक झील में पटककर मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित किशोर के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही परिजन उसे गंभीर हालत में लेकर राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक पीड़ित किशोर के परिजनों द्वारा पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया है।

विवादों में रही कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार

उदयपुर, (कासं)। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे ने गुरुवार को इस्तीफा स्वीकार किया। लंबे समय से विवादों में रही प्रो. सुनीता मिश्रा विवादों के बाद से ही छुट्टियों पर थी। उनके खिलाफ छात्रों ने कई प्रदर्शन भी किए थे। मिश्रा के बयान को लेकर प्रदेशभर में विरोध हुआ था। कई मंत्रियों ने भी इस पर विरोध जताया था। राजभवन से जारी पत्र में लिखा गया कि कुलगुरु के खिलाफ मिली शिकायतों पर संभागीय आयुक्त (उदयपुर) की कमेटी जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।

जाकनारी के अनुसार कुलगुरु

युवती से दुष्कर्म का आरोप

जोधपुर, (कासं)। पाक विस्थापित युवती से उसके एक परिचित ने दुष्कर्म किया। उसके फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। पीड़िता पुलिस थाने पहुंची और कैस दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि पाक विस्थापित युवती वर्ष

2014 में यहां आई। उसके साथ ही आरोपी भी 2014 में आया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 23 नवंबर को उसने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। अब उसे फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है।

तीन साल से फरार हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 साल से फरार हिस्ट्रीशीटर स्थाई वारंटी हनुमान धाकड़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

कोतवाल सुनील चौधरी ने बताया कि एसपी धर्मेन्द्र सिंह यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पास जैन के निर्देशन में एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हैमन्त कुमार के

- आरोपी से बिना नम्बरी स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त, आरोपी के खिलाफ पूर्व में 11 प्रकरण दर्ज हैं**

सुपरविजन में स्थाई वारंटीयों की गिरफ्तारी व आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिये एरिया डीमोनेशन को कार्रवाई के लिये विधेप पुलिस टीम का गठन किया गया। गठीत पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर हलेड तिराहा पर बिना नम्बरी स्कॉर्पियो कार जिसके शिष्यों पर काली फिल्म चढ़ी हुई सहित लम्बे समय से फरार कोतवाली थाने के हिस्ट्रीशीटर और स्थाई वारंटी हनुमान धाकड़ पिता महावीर प्रसाद धाकड़ निवासी हनुमान कॉलोनी थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया। हनुमान धाकड़ के विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार को कब्जे में रखने, धोखाधड़ी और मारपीट के 11 प्रकरण दर्ज हैं।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर
क्रमांक :- U.46/अअ/उदा/वि.ई./ई/2025-26/रजसंख नं. 19022496
निविदा सूचना संख्या -06/2025-26 (NIB No. AGM2526A0206)
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड उदयपुर एवं डूंगरपुर में जनजाति विकास कार्य, उदयपुर, राजसमन् एवं डूंगरपुर में आधुनिक कॉलेज, होसरटल, डिसेन्सरी एवं उद्यान विभाग के कार्यों की ऑनलाईन निविदाएं ई-प्रोक्चुरमेंट www.eproc.rajjasthan.gov.in के माध्यम से उपलब्ध कार्य हेतु दिनांक 22.12.2025 तक आमंत्रित की जाती है। बिडे से सम्बन्धित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.rsambr.rajjasthan.gov.in एवं www.sppp.rajjasthan.gov.in (NIB No AGM 2526A0206 & UBN No. 878 to 881 & 883 to 891) पर भी देखा जा सकता है।
रज.सं.वार/सी/25/14693
अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड-1। बीकानेर
क्रमांक-1124
ई-बोली सूचना संख्या-11/2025-2026
Bid for Permanent Restoration Work on Various Roads SDGH & CD Work NH-62 to Kisturia at Ch 0/500 are invited from interested bidders from 24-11-2025 to 08-12-2025 6.00 PM. and to be opened 09-12-2025 02.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajjasthan.gov.in , http://sppp.raj.nic.in) of the state; and PWD Department website. The approximate value of the procurement is Rs 192.75 Lacs.
(महेन्द्र पाल सिंह घालिया)
अधिशाषी अभियन्ता
DIPR/C/17382/2025

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
ई-निविदा सूचना
कार्य का विवरण
निविदा संख्या एवं दिनांक
e-Tender no.RSMM/CO/GGM (Cont) Cont-12/2025-26 dated 25.11.2025 UBN No. MML2526WS080109
आयोजन निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.rsmm.com , www.sppp.rajjasthan.gov.in अथवा वरि. प्रबन्धक (अनुबन्ध) से उपरोक्त पत्र पर सम्यक् करें।
रज.सं.वार/सी/25/14690
अप महाप्रबन्धक (का.एल.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर
क्रमांक: प. 1/आ. मि / लैब आईटम क्रय/ 2025-26/106
दिनांक: 20.11.2025
ई- बोली विज्ञिप्त वर्ष 2025-26
चिकित्सालय व राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभागान्तर्गत संचालित राजकीय आयुर्वेद औषधालयों के लिए लैब आईटम आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित मूल निर्माताओं / डिस्ट्रीब्यूटर्स / अधिकृत विक्रेताओं से कुल अनुमानित राशि 14424000/- रु. की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका UBN NO.-AYU2526GLOB00318 है। लैब आईटम क्रय हेतु निविदा फॉर्म डाउनलोड प्रारंभ करने की दिनांक 20.11.2025 सायं 6:00 बजे से एवं स्वीकार करने की अंतिम दिनांक 10.12.2025 सायं 6:00 बजे तक रखी गई है। बोली से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट https://eproc.rajjasthan.gov.in , https://dipr.rajjasthan.gov.in , https://sppp.rajjasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट https://ayurved.rajjasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।
DIPR/C/17345/2025
निदेशक

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, वृत्त बारां
क्रमांक :- अअ/वृत्त/बारां/2025-26/1901
निविदा सूचना संख्या: 04 से 07/2025-26
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार/कार्य के ठेकेदार तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक, दूरसंचार, रेल्वे, सेना अभियांत्रिकी सेवा, अन्य राज्य सरकारों / केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों/ संगठनों के पास सूचीबद्ध ठेकेदार, जो कि राजस्थान सरकार के "ए" श्रेणी के समतुल्य हैं भी कार्य के लिये निविदा हेतु नियमानुसार विहित अंतिम धनराशि देने के पश्चात् निविदा हेतु पात्र होंगे, से निर्धारित प्रपत्रों में ई-प्रोक्चुरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
निविदा फॉर्म ऑनलाईन वेबसाईट http://www.eproc.rajjasthan.gov.in से दिनांक 19.11.2025 प्रातः 10:00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते हैं। ऑनलाईन निविदाएं इसी वेबसाईट पर इच्छुक संवेदकों द्वारा दिनांक 19.11.2025 से 04.12.2025 सायं 18:00 बजे तक उपलब्ध किये जा सकते हैं। वेबसाईट पर दिनांक 05.12.2025 को इस कार्यालय में दोपहर 15:00 बजे निविदा खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन कार्यदिवस को उसी समय पर निविदा खोली जायेगी। निविदा शुल्क/प्रक्रिया शुल्क/धरोहर राशि निविदादाता द्वारा ई-ग्रान्त के माध्यम से चालान की प्रति इस कार्यालय में 05.12.2025 को दोपहर 1:00 बजे तक जमा करवाना होगा। विभाग में पंजिकृत स्थाई संवेदक/कर्म पंजीयन जीवित नहीं होने, संवेदक/कर्म का पुनरावलोकन जीवित नहीं होने की स्थिति में निविदा माय्य नहीं होगी।
उक्त निविदा एक्सपीरी पेटेल पर प्रकाशित की जा चुकी है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निम्नलिखित वेबसाईट पर देखे जा सकते हैं :-
1. http://www.eproc.rajjasthan.gov.in
2. http://sppp.rajjasthan.gov.in

निविदा संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	धरोहर राशि			निविदा/ प्रक्रिया शुल्क (रुपय में)		कार्य पूर्ण करने की अवधि
			2%	½%		tender Fees	RISL Fees	
04/ 2025- 26	Annual Rate contract for Construction & Commissioning of 200 mm & 150 mm tube wells with Submersible pump sets etc. complete work in all types of strata including defect liability period of 02 year at various villages of PHED Division Chhabra UBN No.: PHE2526 WSR0C08646	150.00	3,00,000/-	75000/-		5000/-	2000/-	12 माह
05/ 2025- 26	Annual Rate contract for Construction & Commissioning of 200 mm & 150 mm tube wells with Submersible pump sets etc. complete work in all types of strata including defect liability period of 02 year at various villages of PHED Division Baran. UBN No.: PHE2526 WSR0C8651	150.00	3,00,000/-	75000/-		5000/-	2000/-	12 माह
06/ 2025- 26	Annual Rate Contract for supply & installation of Pump sets, Feeder Panels & allied works at various schemes under jurisdiction of Dn Chhabra, Dist. Baran UBN No. PHE 2526 WSR0C8652	100.00	2,00,000/-	50,000/-		2000/-	1500/-	12 माह
07/ 2025- 26	Annual Rate Contract for supply & installation of Pump sets, Feeder Panels & allied works at various schemes under jurisdiction of Dn Baran, Dist. Baran UBN No. PHE 2025 WSR0C8653	100.00	2,00,000/-	50,000/-		2000/-	1500/-	12 माह